

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 26, गुरुवार, शके 1947- जुलाई 17, 2025 Asadha 26, Thursday, Saka 1947- July 17, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 09, 2025

संख्या प.एफ. न. 3(12)वन/2019:-वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 38 ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल के अनुमोदन से इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 3(12)वन/2019 दिनांक 16.05.2022 जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र के विशेषांक के भाग-1(ख) दिनांक 30.05.2022 में हुआ है, जिसके द्वारा रामगढ विषधारी व्याघ्र आरक्षिति घोषित किया गया था, में राज्य सरकार एतदद्वारा निम्न संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

- विद्यमान अभिव्यक्ति "वर्णित वन एवं राजस्व क्षेत्र (101998.48 है०) कुल क्षेत्र 150189.21 है०" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वर्णित वन एवं राजस्व क्षेत्र (101458698 है०) कुल क्षेत्र 149649.428 है०" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- अनुसूची-ा के खण्ड-ब मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Area) के नीचे शीर्ष (ख) बून्दी जिले में प्रादेशिक वन मण्डल का वन क्षेत्र की सारणी के क्रम संख्या 31 के सामने कॉलम संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "2276.29" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1736.508" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- अनुसूची-ा के खण्ड-ब मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Area) के नीचे शीर्ष (ख) बून्दी जिले में प्रादेशिक वन मण्डल का वन क्षेत्र की सारणी के अन्त में विद्यमान अभिव्यक्ति

	कुल			72702.14
--	-----	--	--	----------

के स्थान पर अभिव्यक्ति,

	कुल			72162.358
--	-----	--	--	-----------

प्रतिस्थापित की जायेगी।

- (IV) अनुसूची-I के खण्ड-ब मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Area) के नीचे शीर्ष (घ) के नीचे विद्यमान अभिव्यक्ति

रामगढ विषधारी व्याघ्र आरक्षिति के मध्यवर्ती क्षेत्र का कुल वन क्षेत्र (क + ख+ ग +घ)	85370.88 है०
--	--------------

के स्थान पर अभिव्यक्ति,

रामगढ विषधारी व्याघ्र आरक्षिति के मध्यवर्ती क्षेत्र का कुल वन क्षेत्र (क + ख+ ग +घ)	84831.098 है०
--	---------------

प्रतिस्थापित की जायेगी।

- (V) अनुसूची-I के खण्ड-ब मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Area) के नीचे विद्यमान अभिव्यक्ति
“रामगढ विषधारी व्याघ्र आरक्षिति का कुल मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Area) हैक्टेयर में

वन क्षेत्र	0.88
राजस्व क्षेत्र	27.60
कुल मध्यवर्ती क्षेत्र	101998.48

रामगढ विषधारी व्याघ्र आरक्षिति के क्षेत्र का विवरण (हैक्टेयर में)

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	रामगढ विषधारी क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र -1	22562.73
2	रामगढ विषधारी क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र -11	25628.00
3	रामगढ विषधारी व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर क्षेत्र)	101458.698
	कुल क्षेत्र	150189.21

के स्थान पर अभिव्यक्ति,

“रामगढ विषधारी व्याघ्र आरक्षिति का कुल मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Area) हैक्टेयर में

वन क्षेत्र	84831.098
राजस्व क्षेत्र	16627.60
कुल मध्यवर्ती क्षेत्र	101458.698

रामगढ विषधारी व्याघ्र आरक्षिति के क्षेत्र का विवरण (हैक्टेयर में)

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	रामगढ विषधारी क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र -1	22562.73
2	रामगढ विषधारी क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र -11	25628.00
3	रामगढ विषधारी व्याघ्र आरक्षिति मध्यवर्ती क्षेत्र	101458.698

	(बफर क्षेत्र)	
	कुल क्षेत्र	149649.428

प्रतिस्थापित की जायेगी

- (VI) अनुसूची-II के खण्ड-ब के नीचे शीर्ष खण्ड:- 17(KH-17) में विद्यमान अभिव्यक्ति "वनखण्ड जाखमुण्ड के कम्पार्टमेंट संख्या 1 से 8 तक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वनखण्ड जाखमुण्ड के कम्पार्टमेंट संख्या 1, 2, 3 और 4 की वन भूमि में प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट कोटा का आंशिक भाग जिसको के.एम.एल. फाईल में ABCDEF से चिन्हित किया गया है तथा जिसके जीपीएस कॉर्डिनेट्स A- (N 25014'36.57", E 75042' 15.28"), B-(N 25013'34.15", E 750 45'08.35"), C-(N 25013'04.80", E 750 44'57.87"), D-(N 25013'43.74", E 750 42'57.26), E-(N 25013'54.75", E 750 43'02.97"), F-(N 25014'15.52", E 750 42'06.01") के मध्य की वनभूमि के कुल क्षेत्र 539.782 हेक्टेयर को छोड़कर जाखमुण्ड वनखण्ड का समस्त क्षेत्र" प्रतिस्थापित की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।